Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 5, April-2019, ISSN 2230-7540

सर छोटूराम की कृषि विकास क्षेत्र में भूमिका

Sudesh Kumari*

Professor, Vaishya Senior Secondary School, Rohtak

शोध-सारांश – *भारत वर्ष एक महान देश है। इस देश के प्रत्येक प्रांत में कोई न कोई ऐसा महामानव उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव इतना सशक्त होता है कि जन साधारण से लेकर बुद्धि वर्ग तक उसको 'युग पुरूष' मानकर चिर स्मरणीय बना देते है। हरियाणा प्रान्त में चौधरी छोटूराम भी ऐसे ही 'युग पुरूष' थे, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने 'सर' की उपाधि से विभूषित किया और जन साधारण ने उन्हें 'रहबरे आजम', 'किसान मसीहा' और 'दीनबंधु' का नाम दिया। चौधरी छोटूराम हरियाणा के नायक हैं। उन्होंने अपना जीवन 'दरिद्र किसान' की सेवा में समर्पित कर दिया, यही कारण है कि हरियाणा के लोग विशेष कृषक समाज का हर व्यक्ति उसका नाम लेते ही श्रद्धा से नत-मस्तक हो जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में "सर छोटूराम की कृषि विकास क्षेत्र में भूमिका" का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णतया द्वितीयक आँकडों पर आधारित है।*

मुख्य शब्द: *अन्नदाता, चौधरी छोटूराम, किसान, अधिनियम, कृषि, सर छोटूराम इत्यादि।*

----------X----------

भूमिका:

भारत के राजनीतिक इतिहास में चंद लोग ही ऐसे मिलते हैं जो देश के भूखे-नंगे गरीबों, जमीदारों तथा सूदखोर महाजनों द्वारा शोषित किसानों और भ्रष्ट नौकरशाहों द्वारा उत्पीड़ित लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहें हो। ऐसे लोगों में चौधरी छोटूराम का स्थान बहुत ऊँचा है।

आज हरियाणा कृषि, शिक्षा, व्यापार व उद्योग की दृष्टि से प्रगति के पथ पर अग्रसर है; किन्तु लगभग सौ वर्ष पूर्व हरियाणा में कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर थी। परिणाम-स्वरूप यह क्षेत्र अधिकतर अकाल ग्रस्त रहता था एवं कृषक की आर्थिक दशा शोचनीय थी, अर्थ की दृष्टि से वह महाजन की दया का पात्र था।

उस समय अंग्रेजों का शासन था। यद्यपि शिक्षा का कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, किन्तु शिक्षा का प्रचार व प्रसार बढ़ रहा था, अंग्रेजों की शासन प्रणाली पाश्चात्य ढंग की थी, जिसमें शिक्षा, योग्यता तथा व्यक्तित्व का प्रधान स्थान था तो ऐसे समय में युग-पुरूष चौधरी छोटूराम की जीवन ज्योति प्रकाशमान हुई।

"अन्नदाता किसान का सम्मान जहां पर

सच पूछो देवताओं का वास वहां पर"

चौधरी छोटूराम का जन्म जिला रोहतक के गढ़ी सांपला नामक एक छोटे से गाँव में 24 नवम्बर 1881 को ओहलान गोत्रीय जाट किसान चौ॰ सुखीराम के घर हुआ। उनके बचपन का नाम रिछपाल था। उनकी माता का नाम सिरिया देवी था। चौ. छोटूराम का विवाह 12 वर्ष की आयु में 5 जून 1893 ई॰ को ज्ञानो देवी सुपुत्री नान्हा सिंह गुलिया झज्जर में हुआ था। चौधरी छोटूराम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे इसलिए परिवार के सब लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल में मास्टर जी ने भी रजिस्टर में उनका नाम छोटूराम दर्ज कर दिया था और ये महापुरूष छोटूराम के नाम से विख्यात हुए।

अध्ययन काल में इनकी गणना सदैव अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में होती थी। इसी दौरान इनके माता-पिता ने इनके लिए महाजन से दो सौ रूपये का ऋण लिया। स्नातक के बाद युवक छोटूराम को दो सौ रूपये के कर्ज का ब्याज सहित 2000 रूपये बन जाने का ज्ञान हुआ। इस ज्ञान से मानो सम्पूर्ण हरियाणा के कृषक समाज की आर्थिक दशा तथा महाजन द्वारा उसके शोषण के भयानक चित्र को उनके सामने खोलकर रख दिया। इस सच्चाई से उनके हृदय पर इतनी चोट लगी कि उन्होंने शोषक द्वारा शोषित के शोषण की व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंकने का तथा किसान की निर्धनता व उसके अभावजन्य कष्टों के निवारण का व्रत ले लिया।

www.ignited.in

परिश्रम के लिए उनका कथन था कि -

"खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले

खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है?"

उन्होंने अपने शिष्टता भरे व्यवहार द्वारा ही अंग्रेजी सरकार से 'इन्तकाल एक्ट आराजी' तथा कृषक सहायता कोष जैसे कानून पास करवायें। उन्होंने कर्जा निर्वारक कानून की रचना की तथा उनकी मण्डी जल-विद्युत-योजना तथा हवेली स्कीम से पंजाब में लाखों बीघे धरती की सिंचाई आरम्भ हो गई। नलकूप, भाँखड़ा बाँध और ब्यास नदी के बाँध की योजना बनाई। भूमिहीन किसानों को उन्होंने हस्तगत भूमि भी दी।

छोटूराम का जन्म जब हुआ तो उस समय पूरे भारत वर्ष के दलितों तथा किसानों की हालत काफी दयनीय थी। उस समय किसानों की जो हालत थी उसका वर्णन करना कठिन कार्य है, उस समय के शत-प्रतिशत किसान ऋण से दबे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे गरीबी से उनका जन्म से ही सम्बन्ध हो। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी कि अनाज का उत्पादन करने वाला किसान स्वयं ही अनाज से वंचित रह जाता था। किसान के पास चाहे कितनी भी भूमि क्यों ना हो, यदि उसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उसकी आर्थिक स्थिति कभी भी नहीं सुधर सकती।

इस समय सिंचाई की व्यवस्था काफी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण किसान की फसल ठीक ढ़ंग से नहीं हो पाती थी। किसान अपनी खेती के लिए ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहता था। सिंचाई के इतने साधन नहीं थे।

- **कृषि का विकास (चौ. छोटूराम के कृषि सम्बन्धी कार्य):-** छोटू राम पहली बार 24 सितम्बर 1924 को मन्त्री बने और 26 दिसम्बर 1926 तक इस पद पर बने रहो। इस सवा दो वर्ष के थोड़े से समय में उन्होंने जनहित के लिए अनेक कार्य किये। उन्होंने इतने अल्प समय में किसानों की काया पलटने का भरसक प्रयास किया।

- **सिंचाई की सुविधा:-** किसान के पास चाहे कितनी भी भूमि क्यों न हो। यदि उनमें सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधर सकती है। जिला रोहतक में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समय-समय पर छोटे-छोटे प्रयास होते रहें हैं लेकिन प्रतिफल आशा जनक नहीं रहे। जहां पर पानी खारा था और सिंचाई का प्रबन्ध नहीं था, वहां बोरिंग का प्रबन्ध किया। मियांवाली और रोहतक जिले में कहीं-कहीं दो सौ फीट की गहराई से पानी निकाला गया।

- **किसानों के विकास के लिए तकनीकी जानकारी देना:-** खेती अब लाभदायक पेशा बन गई थी और खाद्यान्नों का उत्पादन कई गुणा ज्यादा हो गया था। विशेष मौकों पर किसानों को विकसित कृषि यन्त्र भी दिए जाने लगे थे। इसलिए उन्नत किस्म के बीज भी मिलने लगे थे। किसानों को बीज बोने तथा फसल काटने के लिए नई तकनीकी सहायता भी दी जाने लगी थी। खेतों में नई-नई किस्म के खादों का प्रयोग करना भी सिखाया गया था। नए किस्म के औजार खरीदने के लिए अनुदान दिए गए थे।

- **पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून 1907:-** सन् 1901ई॰ के कानून के अनुसार कृषि योग्य भूमि केवल जमींदारों को ही बेची जा सकती थी और गैर जमींदार जातियों पर यह पाबन्दी थी कि वे 20 वर्ष की अवधि से अधिक किसी भी भूमि को रहन नहीं रख सकती थी। सन् 1901ई॰ के कानून में सन् 1907ई॰ में एक संशोधन किया गया। इसको पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून 1907 कहा जाता है। इस संशोधित कानून के अन्तर्गत कब्जे के अधिकार को भूमि की परिभाषा में लिया गया और जमींदार तथा गैर जमींदार भू-स्वामियों को यह अधिकार दिया कि वे कब्जे के अधिकार के स्वामित्व खरीदने का अधिकार प्राप्त हो गया।

- कृषक सहायता कोष की स्थापना:- अकाल (अनावृष्टि, अतिवृष्टि), टिड्डी और ओले-शीत से कभी-कभी इलाकों के इलाकों की फसल समाप्त हो जाती थी और वहां के किसानों को बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ता था। सरकार ऐसे मुसीबत के समय में विभिन्न विभागों के खर्चे में से रकम निकाल कर कुछ थोड़ी सी सहायता कर पाती थी। संतोषजनक सहायता करने के उद्देश्य से दीन-बन्धु ने 'कृषक सहायता कोष' का कानून पास कराया जिसके अनुसार प्रति वर्ष सरकार द्वारा अपने बजट में से इस कोष में 55 लाख रू॰ जमा कराने का प्रावधान रखा।

- **कर्जा माफी अधिनियम 1934:-** यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम

ने 8 अप्रैल 1934 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है। तो ऋणी ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी (रीकैन्सिलेशन) बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे।

- **साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938:-** यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पायेगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया।

- **गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938:-** यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी जमीनें किसानों को वापिस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूलराशि का दोगुणा धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया।

- **कृषि उत्पाद मंड़ी अधिनियम 1938:-** यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्किट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य एक रूपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियाँ होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई।

- **मण्डी जल विद्युत योजना:-** छोटूराम का प्रथम मन्त्री काल 1924ई॰ में आरम्भ होकर 1926ई॰ तक रहा। कृषि मन्त्री के रूप में पंजाब को हरा-भरा बनाने में छोटूराम ने कोई कमी नहीं रखी इनसे पहले सरकार ने एक प्राइवेट कम्पनी को आर्थिक सहायत देकर माधोपुर जल विद्युत योजना आरम्भ करवाई थी। चौधरी साहब ने कृषि मन्त्री का कार्यभार संभालते ही मण्डी जल विद्युत योजना को आरम्भ किया। इसके पूर्ण होने पर आधे पंजाब को बिजली व पानी मिलने की संभावना स्पष्ट दिखाई देती थी।

- **भाखड़ा बाँध योजना:-** बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में निकलन नामक एक अंग्रेज सुपरिण्टेण्डेन्ट इन्जिनियर ने भाखड़ा बाँध योजना की संभावना द्वारा पंजाब के सूखे जिलो-रोहतक व हिसार को पानी सुलभ कराने का प्रस्ताव सुझाया गया था। यह योजना अनेक वर्षों तक मात्र कागजों में ही दबी पड़ी रही लेकिन जब छोटूराम जी मन्त्री बने तो उन्होंने इस योजना को पुनः आरम्भ करवाया। इस योजना से रोहतक और हिसार के सूखा पीड़ित क्षेत्रों को काफी लाभ पहुंचा। अब भी भाखड़ा बांध देखने जाने वाले लोगों के समक्ष पंजाब सरकार के इंजीनियर बड़ी श्रद्धा से इस योजना के प्रवर्तक चौधरी छोटूराम जी की यशोगाथा कहते हैं।

- **किसानों के लिए सहकारिता योजना:-** छोटूराम का सोचना था कि यदि सहकारिता योजना सफल हो जाती है तो फिर किसानों की कई समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जायेंगी। इसलिए उन्होंने सहकारिता योजना को एक जन आन्दोलन बनाने का भी आह्वान किया। छोटूराम का यह भी सोचना था कि इससे किसानों को अतिरिक्त मुनाफा होगा जिससे उनकी स्थिति में बदलाव सम्भव है। इस प्रकार उन्होंने हमेशा वही कार्य किए जो मजदूरों तथा किसानों के हितों के थे।

- **किसानों को जमीनों का वास्तविक मालिक बनाया:-** यदि किसान से उसकी जमीन छीन ली जाये तो फिर किसान किसके सहारे अपना पेट भरे। छोटूराम ने इस स्थिति को स्वंय भोगा था। इसलिए वे किसान की मानसिक स्थिति से अच्छी तरह अवगत थे। इन सबकों रोकने के लिए 'दस जातियों' को 'स्टचुअरी एग्रीकलचरलिस्ट ट्राइब्स (कानूनन किसान जातियों)" के अन्तर्गत लाया गया। ये जातियां थी - जाट, राजपूत, पठान, सैयद, गूजर, अहीर, बिल्लोच, मुगल और माली, कुरैशी इत्यादि। इन जातियों के अधिकार की भूमि को साहूकार नहीं ले सकता था।

छोटूराम जी द्वारा किये गये इस कार्य को अति महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार छोटूराम ने किसानों को उनकी भूमि

का वास्तविक मालिक बनाया। ताकि किसानों को अपनी आजीविका के लिए कभी दूसरों पर निर्भर न होना पड़े।

चौधरी छोटूराम के कुछ अन्य कार्य नि॰लि॰ हैं जोकि किसानों के लिए काफी लाभदायक थे:-

1. देहातों में पशुओं एवं मनुष्यों के इलाज के लिए औषद्यालयों और डिस्पेन्सरियों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया।

2. प्रान्त की राजधानी में देहातों के स्वास्थ्य और सफाई के कार्यों की देखभाल के लिए एक अलग स्वास्थ्य मण्डल सेनेटरी बोर्ड की स्थापना की।

3. पशुओं की नस्ल को उन्नत बनाने के लिए बजट में प्रस्तावित रकम को बढ़ाया।

4. उन्नत बीज व पशुनस्ल में सुधार।

5. दालों, तिलहन, चावल, आलू व तम्बाकू की खेती का आरम्भ किया गया।

6. फलों की पैदावार व मुर्गीपालन को बढ़ावा मिला।

7. फसलों के रोगों से बचाव के लिए प्रयत्न किए गए।

निष्कर्ष:

चौधरी छोटूराम एक ऐसे महापुरूष हुए हैं जिनका सारा जीवन स्वनिर्मित था। एक साधारण निर्धन किसान घर में उनका जन्म और बहुत कठिन परिस्थितियों एवं विघ्न-बाधाओं में ज्यों-त्यों करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। छोटूराम एक महान व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। जिन्होंने कभी-भी अपने हित के लिए कार्य नहीं किया।

उन्होंने गरीब, पिछड़े हुए वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। वर्तमान में सरकारे किसानों, गरीबों, दलितों, मजदूरों के हितों के लिए जो नीतियाँ तथा कार्यक्रम बनाती है उनका उद्गम स्त्रोत् तो छोटूराम जी ही रहे हैं। क्योंकि छोटूराम ने इनके लिए जो नीतियां व कार्यक्रम बनाये थे वर्तमान सरकारें उनका ही क्रियान्वयन कर रही है।

सर छोटूराम ने अखण्ड पंजाब के मजदूरों, हरिजनों, दरिद्रों, किसानों, पिछड़े वर्ग तथा दुखियों की सहायता की जिससे उनको "दीनबन्धु" व किसानों का मसीहा कहा जाता है।

संदर्भ-सूची

कादियाँ, प्रभावती, 'दीनबन्धु चौधरी छोटूराम', सूर्यप्रभा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993

कुन्डू, धर्मबीर, 'छोटूराम भारती', हरियाणा साहित्य अकादमी, रोहतक (हरियाणा) 2012

गोपाल, मदन, "सर छोटूराम ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, दिल्ली, बी॰आर॰पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, 1977

सिंह, रघुबीर, 'सर छोटूराम का जीवन चरित', छोटूराम मैमोरियल ट्रस्ट, रोहतक, 1989

सिंह, हरि, 'दीनबन्धु सर छोटूराम', दीनबन्धु सर छोटूराम मिशन प्रकाशन, रोहतक, 1984

सिंह, रणजीत, 'छोटूराम गौरवगाथा', छोटूराम मैमोरियल सोसायटी, रोहतक, 1989

सिंह, नफे, 'दीनबन्धु दर्शन', शुभ लक्ष्मी प्रकाशन, जीन्द (हरियाणा) 1999

सिंह, बलबीर, 'सर छोटूराम; ए सांगा ऑफ़ इन्सपाइरेशनल लिडरशिप', नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1982

यादव, के॰सी॰, 'बेचारा किसान ऑफ़ सर छोटूराम', मनोज पब्लिकेशन, हिसार (हरियाणा) 1978

शास्त्री, रघुबीर सिंह, 'चौधरी छोटू राम जीवन चरित्र', रोहतक छोटूराम मैमोरियल सोसायटी, 1965

Corresponding Author

Sudesh Kumari*

Professor, Vaishya Senior Secondary School, Rohtak

sudeshkaushik16@gmail.com